20-8-2025 पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही उपस्थित। गैरसायल देवीसिंह पुत्र श्री चैनसिंह, जाति– ठाकुर, निवासी– पादररोड़, मण्डार, पुलिस थाना मण्डार, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से वकील श्री सुर्यवीरसिंह आढा ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में सहायक अभियोजन अधिकारी एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान इस्तगासा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया है। गैरसायल वर्तमान में मजदूरी करके शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है। गैरसायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है तथा गैरसायल से किसी को भय नही है तथा न ही गैरसायल अवैध रुप से शराब विक्रय करता है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 23–01–2025 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे। ....लगातार

सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल देवीसिंह पुत्र श्री चैनसिंह, जाति– ठाकर, निवासी– पादररोड़, मण्डार, पुलिस थाना मण्डार, जिला– सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना मण्डार में आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत मुकदमा संख्या 134 दिनांक 05–11–2015, 142 दिनांक 19–11–2015, 85 दिनांक 16–06–2016, 119 दिनांक 09–9–2016, 127 दिनांक 19–9–2017, 47 दिनांक 04–5–2018, 15 दिनांक 18–01–2019, 43 दिनांक 06–4–2022 व 15 दिनांक 23–01–2025 को दर्ज हुए है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल के विरुद्ध उक्त अपराध संख्या 47 दिनांक 04–5–2018, 15 दिनांक 18–01–2019, 43 दिनांक 06–4–2022 व 15 दिनांक 23–01–2025 संबंधित न्यायालय में लम्बित है तथा शेष मुकदमों में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्ड़ित किया गया है। जिसमें से न्यायालय पत्रावली पर उक्त अपराध संख्या 119 दिनांक 09–9–2016 व अपराध संख्या 127 दिनांक 19–9–2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां व इन दोनों मुकदमों में प्रस्तुत आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध है। संबंधित न्यायालय द्वारा उक्त अपराध संख्या 119 दिनांक 09–9–2016 व अपराध संख्या 127 दिनांक 19–9–2017 में पारित निर्णय दिनांक 27!1–2019 व 07–10–2023 के अनुसार गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल अवैध शराब विक्रय करने संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 23–01–2025 के बाद कोई मुकदमा दर्ज होने की साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल देवीसिंह पुत्र श्री चैनसिंह, जाति– ठाकर, निवासी– पादररोड़, मण्डार, पुलिस थाना मण्डार, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में एक माह अर्थात् 30 दिन की अवधि के लिये उपखण्ड़ क्षेत्र, रेवदर से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के उपखण्ड़ क्षेत्र, आबूरोड़ की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में दिनांक 01–9–2025 व 10–9–2025 को पुलिस थाना, आबूरोड़ सदर में उपस्थिति दर्ज करवायेगा।

.....लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्या 10 / 2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांकों में गैरसायल की उपस्थिति दर्ज़ इसकी सूचना थानाधिकारी, पुलिस थाना, मण्ड़ार को प्रेषित करेंगे। निर्णय/आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, मण्ड़ार/आबूरोड़ सदर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.